



कड़ी सुरक्षा के बीच कब्ज़े समर्थक समूहों का 'कर्नाटक बंद' शांतिपूर्ण रहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु। कर्नाटक के बेलगामी में पिछले महीने एक सकारी बस कंडकर पर कथित तौर पर मराठी भाषा नहीं आने के कारण किए गए हमले के विरोध में कब्ज़े समर्थक समूहों द्वारा आहुति सुधूर से साल तक का 'राज्यव्यापी बंद' शिविर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बंद के दौरान पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध वर्तने के लिए जिसके बंद के दौरान अप्रिय घटना नहीं हुई। बंद से पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की तथा चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने या तोड़फोड़ करने के लिए जी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में कब्ज़े समर्थक समूहों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने दुकानदारों से

सहयोग करने तथा इस मुद्दे को समर्थन देने की अपील की लेकिन अधिकारी दुकानों हमेसे तो यह खुली रही।

बैंगलूरु में कार्यकर्ता मैसूरु बैंक सर्कल पर एक बड़े और हाथों में तस्तियां लेकर नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मैजेस्टिक मैटर्सी के बास के बासों को रोकने के पास धरना दिया। मैसूरु में केएसआरटीसी की एक बस को रोकने का प्रयास करने पर कुछ कब्ज़े समर्थक कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिस्तर में ले लिया गया। इसी तरह का प्रदर्शन हिस्तर में भी हुआ, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर उत्तर आए।

पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं तथा वरिष्ठ अधिकारी लिखी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जमीन पर नजर रख रहे तो। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न जिलों में पुलिस ने एहतियात के तौर पर 'स्टार्टी आईडेर्ज' इकाई के साथ-साथ हांगार्डों की भी तैनात किया गया। बैंगलूरु के पुलिस अधिकारी ने दियानों की लिए बंद में शामिल होने के लिए लोगों को मजबूर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर

पर बैंगलूरु शहर में कर्नाटक राज्य रिजर्ज पुलिस की 60 टुकड़ियां, 1200 होमार्ड और यातायात पुलिस बल तैनात किया गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉके शिवकुमार ने लोगों से सांति बनाए रखने और कानून का पालन करने का आग्रह किया। बैंगलूरु के अनुसार स्कूल, कॉलेजों के लिए कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया है। विभिन्न कब्ज़े समर्थक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र संगठन 'कब्ज़े आँकड़ा' ने 22 मार्च तक राज्यव्यापी बंद से शाम छह बजे तक राज्यव्यापी बंद की घोषणा 28 फरवरी को की थी। कुछ संगठनों और यूनियन ने याता बंद से दूर रहने का निर्णय लिया है। याकूब रुक्कुमार ने एहतियात के तौर पर स्टार्टी आईडेर्ज के द्वारा दिया गया था। बैंगलूरु के अनुसार स्कूल, सालाह के परिवारों के लिए नेतृत्व में समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस बीच आपातकान सेवाएं - भेड़िकल स्टोर, अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाएं, पेट्रोल पंप और मेट्रो सेवाएं चालू रही। बैंगलूरु के अनुसार स्कूल, सालाह के परिवारों के लिए लोगों को मजबूर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर

मैसूरु के चिकित्सक के अपहरण-हत्या मामले में तीन दोषियों को जेल की सजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मलपुरम। केरल की एक अदालत ने मैसूरु में पारंपरिक तरीके से द्वारा जाए वाले वाले एक चिकित्सक के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी वहां गए तीन लोगों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मलपुरम के नीलांबुद्ध में साल 2019 में आरोपियों में से एक के घर पर चिकित्सक की नीरशंस हत्या कर दी गई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयी प्रश्न तुरुर एम ने 60 वर्षीय चिकित्सक शवा शरीफ के अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में सुख्य आरोपी शेबिन अशरक के 13 साल नी महीने की जेल की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत ने अशरक को भारतीय दंड संहिता (आईपीली) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आठ साल, धारा 347 (गैरत तरीके से बंधक बनाना) के तहत तीन साल, धारा 201 के तहत नी महीने की सजा सुनाई है।

लोक अधियोजक ईम कृष्णन नवदूरी के बताया कि आदालत



जीव अपनी प्रवृत्ति द्वाया ही पुण्यथाली बनता है : साध्वीश्री पावनप्रभा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु। शहर के हुमंतनगर तेरांगं सभा भवन में विराजित साध्वीश्री पावनप्रभाजी ने प्रातःकालीन प्रवचन में कहा कि जीव अपनी शुभ प्रवृत्ति द्वारा हल्का

(पुण्यथाली) तथा अशुभ प्रवृत्ति द्वारा भारी (पापी) होता है। प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है। मन प्रवृत्ति, वर्तन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति।

साध्वीश्री रम्याप्रभाजी के कहा कि क्षण्य का मतलब चारों तरफ से कर्मों का आगमन होता है। इस अवसर पर तेयुप हुमंतनगर काली रविवार को आयोजित होने

वाली वीतराम कार्यशाला के बैनर का अनावरण किया गया। इस भौके पर मूलचंद नाहर, सभा के अध्यक्ष गौतम दक, उपाध्यक्ष गौतम कालतेल, सभा के प्रायालयिक रोशन माडोत, प्रकाश देवालयिक, मंत्री हेमराज मंडोत, तेयुप के अध्यक्ष कमलेश आबक आदि उपस्थिति थे।



सांसद के नेतृत्व में प्रवासियों ने 'दप्ते' के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात राजस्थान के लिए विभिन्न ट्रेनों की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु। शनिवार को बैंगलूरु लोकसभा क्षेत्र मध्य के सासारणी सी. सोहन ने जैन वर्षांगनी प्रवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पश्चिम रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कृष्ण वैतन्या से मुलाकात की तथा रेल मांगों के संबंध में ज्ञानपाणी। ज्ञानपाणी ने वरिष्ठों के लिए नई ट्रेन, विद्यमान ट्रेन नंबर

14805/06 यशवंतपुर बाडोर वाया भैली जालोर को फेंके वाली मांगों को होवाहा गया है। सीनियर विविजन प्रबंधक ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से बातचीत करते हुए उनकी मांगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसमें संसार व अन्य सदस्यों को आवासन दिया कि वे शीर्ष ही रेल मंत्री को उनकी मांगों से अग्रवत करते हुए एक अनुशंसा पत्र भेजेंगों पी हुए ही प्रवासियों को भवासर रिहाई के लिए रेल सर्वेक्षण दिया कि वे रेल अनुशंसा पत्र लेकर रेलमंत्री से

व्यक्तिगत रूप से निलकर मांगों को पूरा करने की हर संभव काशिश करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेशकुमार पटेल, गांधीनारायण सीनियर मंडल के पूर्व अध्यक्ष शेतनसिंह राजपुरोहित, राजाराम आंजना पटेल संघ बैंगलूरु के उपाध्यक्ष कलाराम वौधरी, राजपुरोहित संघ के अध्यक्ष भवरसराज राजपुरोहित, राजपुरा वर्षांगनी की भवासरिंद्र से पंच परमेश्वरी नमस्कर महामंत्र द्वारा शुभारंभ हुआ।

डॉ. पदमचंद्रमुनिजी ने प्रवचन में प्रेरणा दी कि दान, शील, तप,



बांगलादेश में कट्टूरपंथी इस्लामी तत्वों का हिंदुओं पर अत्याचार चिंता का विषय : आदरसाएस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आदरसाएस) ने बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कट्टूरपंथी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कथित रुप से सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्तेजन को लेकर शनिवार को गंभीर चिंता व्यक्त की। आदरसाएस के शीर्षी नियांगक मंडल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एवीपीएस) की विवालादेश के लिए अधिकारी और संस्थागत समर्पण अधिकारी ने अपनी चिंता का विषय है।

प्रस्ताव में कहा गया है, "एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांगलादेश में कट्टूरपंथी इस्लामी तत्वों के हाथों हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार और सुनियोजित तरीके से ही रही दिसा, अन्याय और उत्तेजन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करती है।" इसमें कहा गया है कि बांगलादेश में हाल में हाशमन नियांगक के द्वारा भारत के आसपास के पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का एक तारा प्रयास कर रही है। एवीपीएस ने विचारों और अंतर्राष्ट्रीय आदरसाएस के द्वारा भारत के माहोल औंपैर रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस ने कहा, कुछ

अंतर्राष्ट्रीय ताकर्ते एक देश को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके दूसरे दिवालादेश के संबंध में एक अपराध परिचय किया गया। एवीपीएस ने विवालादेश को दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस ने कहा, कुछ

अंतर्राष्ट्रीय ताकर्ते एक देश को

दूसरे के खिलाफ खड़ा करके दूसरे दिवालादेश के संबंध में एक अपराध परिचय किया गया। एवीपीएस ने विवालादेश के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।

आदरसाएस के दूसरे देशों के बीच संबंधों का अंधेरा रुप से नुकसान पहुंचा सकती है।